पत्रांक 635/AE/कम्प्ले0/जोन-6/2015 दि0 19-10-2015

पार्ट–पूर्णता प्रमाण पत्र

इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत अंहिसाखण्ड–1 में स्थित भूखण्ड सं0–15 पर निर्मित बिल्डिंग–1 व 2 भवन के सम्बन्ध में पार्ट–पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु उपरोक्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण श्री अजित कुमार सिंह अवर अभियन्ता एवं श्री मनोज ~~सागर~~/श्री वाई0एन0 चौधरी सहायक अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है, एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/शमनित मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 (क) (2) के अन्तर्गत पार्ट–पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.03.2015 को निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है :–

1. वृक्षों/ग्रीन एवं आन्तरिक विकास कार्यों की रख–रखाव जिम्मेदारी विकासकार्ता/आर.डब्लू.ए. /ए.ओ.ए. की होगी।
2. एयर पोर्ट एथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के बिन्दु सं0–3 के क्रम में सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व यथावश्यक कार्य कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा एवं एयर पोर्ट एथॉरिटी द्वारा जारी अनापत्ति में दर्शित प्राविधानों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन सदैव सूनिश्चित करना होगा।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सदैव क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आवेदक आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए. की होगी।
4. फायर विभाग द्वारा जारी ए.ओ.सी. में अंकित शर्तों का अनुपालन एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण प्रस्तुत की जिम्मेदारी विकासकर्ता/आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए. की होगी।
5. लिफ्टों की प्रत्येक वर्ष जांच एवं क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आवेदक/आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए. की होगी।
6. विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता/आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए. की होगी।
7. स्ट्रक्चरल सैफ्टी जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/बिल्डर जिनके द्वारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है, की होगी।
8. यदि कोई परिवर्तन/परीवर्धन किया जाता है तो दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
9. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने समय बिल्डिंग नं0–1 व 2 का पुनः परीक्षण होगा।

19-10-2015

(दयानन्द प्रसाद)
प्रभारी प्रवर्तन जोन–6

दयानन्द प्रसाद
विशेष कार्याधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

467

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 538(2)/DD /प्रवर्तन जोन–6/2017 दिनांक 20/3/17

परिशिष्ट–6

भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र :

भूखण्ड संख्या–15 अहिंसाखण्ड–1 इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाऊसिंग के ब्लॉक संख्या–3 व 5 के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री योगेन्द्र नारायण चौधरी सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक–06.03.2017 को कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक–20.03.2015 को शमनित मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। उक्त पर कमेटी के संस्तुति के क्रम में निर्मित ग्रुप हाऊसिंग ब्लॉक संख्या–3 व 5 का पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक–10.03.2017 को प्रतिबन्ध एवं शर्तों सहित प्रदान कर दी गयी है।

अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 क (2) के अनुसार निर्मित ग्रुप हाऊसिंग के ब्लॉक संख्या–3 व 5 का पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है।

शर्तें :–

1. सम्पूर्ण परिसर एवं स्वीकृत ब्लॉकों का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण पत्र भवन उपविधि के समस्त प्राविधानों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. परिशिष्ट 6 निर्धारित प्रारूप प्रपत्र "ब" भाग ऊ, ब, स पर दी गयी सूचनाओं का अनुपालन न किये जाने की दशा में आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निरस्त मान्य होगा।
3. मूल स्वीकृत एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण ब्लॉक 1 व 2 के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ पत्र आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. वृक्षों/ग्रीन एवं आन्तरिक विकास कार्यों के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ आर0डब्लू0ए0/ ए0ओ0ए0 की होगी।
5. एयर पोर्ट एथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के बिन्दु 3 के क्रम में सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व यथा आवश्यक कार्य कर सूचित करना होगा।
6. अग्निशमन विभाग के अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों आदि का अनुपालन करना होगा, तथा विभाग द्वारा दिये गये सुझावों व निर्देशों, अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव स्थल पर कार्यशील एवं इसकी सुरक्षा सम्बन्धी जांच समय–2 पर शर्तों के अनुसार अग्निशमन विभाग से कराना होगा, तथा पुनः सम्पूर्ण परिसर सहित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तथा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष जांच एवं क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 की होगी। किसी भी आपत्ति की दशा में जारी पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

7. लिफ्ट के सम्बन्ध में निदेशक विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति में उल्लिखित शर्त का अनुपालन तथा शर्तों के अनुसार जांच एवं क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आवेदक/ आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 की होगी।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सदैव क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आवेदक/आर0डब्लू0ए0/ ए0ओ0ए0 की होगी।
9. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करते समय पूर्व में दिया गया पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र ब्लॉक 1 व 2 तथा ब्लॉक 3 व 5 का पुनः परीक्षण करना होगा।
10. विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी जारी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता/ आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 की होगी।
11. डी0जी0 सेट अधिष्ठापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्पूर्ण परिसर के पूर्णता प्रमाण पत्र लेने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रस्तुत स्ट्रक्चरल सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/बिल्डर जिसके द्वारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है, की होगी।
13. उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण सम्पूर्ण परिसर के सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लेने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, जिसकी शर्तों आदि का अनुपालन विकासकर्ता/ए0ओ0ए0 को करना होगा।
14. रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति को हस्तान्तरण करने तक भवन का रख-रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
15. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का अनुपालन विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 को करना होगा।
16. यदि कोई परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है तो दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(दयानन्द प्रसाद)
विशेष कार्याधिकारी/
प्रभारी,प्रवर्तन जोन-6